दिनांकः–24.07.2026 को अपर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा हेतु नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ विभागीय सभागार में आयोजित बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थितिः–पंजी के अनुसार।
2. सर्वप्रथम अपर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित विभागों/निदेशालयों के नोडल पदाधिकारी, विभागीय अभियंताओं तथा बिहार अग्निशमन सेवा के अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

   उपस्थिति पंजी के अनुसार **विधि विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, सामाज कल्याण विभाग, निर्वाचन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु मत्स्य संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, उद्योग विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, संसदीय कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार राज्य योजना पर्षद, समाज कल्याण निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय, बिहार लोक सेवा आयोग** के नोडल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे।
3. बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद भी नियोजन भवन से कूड़ा–कचरा अभी तक हटाया नहीं गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित विभाग को कूड़ा–कचरा हटवाने हेतु सूचित करें तथा इसके उपरान्त भी कचरा नहीं हटाया जाता है तो नोटिस चिपकाकर एक सप्ताह के अन्दर अपने स्तर से कचरा को हटा दिया जाए।

   (अनु0ः–कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल)
4. सभी नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कॉमन एरिया एवं कोरिडोर को छोड़कर शेष अन्य जगह अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

   (अनु0ः–सभी नोडल पदाधिकारी)
5. मॉक–ड्रिल आयोजित कराने के पूर्व संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने के उपरान्त हीं मॉक–ड्रिल आयोजित कराने हेतु जिला अग्निशमन पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

   (अनु0ः–जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना)
6. विकास भवन में प्रायः यह देखा जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग की बिना पूर्वानुमति के भवन में कई जगह होल करके तार को इधर–उधर से ले जाया जा रहा है एवं अग्नि सुरक्षा हेतु अधिष्ठापित यंत्रो को हटा दिया जाता है। संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करें कि इस तरह के कार्य पर निगरानी रखी जाए। (अनु0ः–कार्यपालक अभियंता केन्द्रीय भवन प्र0 सं0–01)
7. टेक्नोलॉजी भवन के प्रथम तल एवं तृतीय तल पर अभी तक Water Sprinkler लगाने का कार्य पूर्ण नही हुआ है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को यथाशीघ्र कार्य कराने का निदेश दिया गया।

   (अनु0ः–कार्यपालक अभियंता केन्द्रीय भवन प्र0 सं0–01 संरचना प्र0 सं0–03)
8. मुख्य सचिवालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पर्यटन विभाग में पर्याप्त संख्या में Fire Extinguisher अधिष्ठापित नहीं है। कॉमन एरिया एवं कोरिडोर को छोड़कर शेष अन्य जगह Fire Extinguisher का अधिष्ठापन विभाग के स्तर से कराने का निदेश दिया गया।

   (अनु0ः–नोडल पदा0 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पर्यटन विभाग)
9. प्रत्येक विभाग कार्यालय अवधि के पश्चात् एवं छुट्टी के दिनों में विद्युत उपकरणों यथा ए0सी0, पंखा, कूलर, बल्व, ट्यूबलाईट आदि को बंद करने हेतु एक कर्मी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा संबंधित नोडल पदाधिकारी इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

   (अनु0ः–सभी नोडल पदाधिकारी)

10. सभी नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन विभागों में पदाधिकारियों/कर्मियों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है उसकी सूची तैयार कर जिला अग्निशमन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाए ताकि आगामी माह में उनको प्रशिक्षण दिया जा सके।
(अनु0:–सभी नोडल पदाधिकारी)

11. जिला अग्निशमन पदाधिकारी को सलाह दी गई कि मॉकड्रिल कराते समय अग्निशमन पदाधिकारी Hand on Mike को साथ में रखें ताकि यदि कोई निर्देश देने की आवश्यता हो तो दिया जा सके। **(अनु0:–जिला अग्निशमन पदाधिकारी)**

12. कर भवन एवं वित्त भवन में मॉकड्रिल आयोजित कराने हेतु संबंधित नोडल पदाधिकारी को भवन में प्रतिनियुक्त अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी से साथ समन्वय स्थापित कर मॉकड्रिल कराने का निदेश दिया गया। **(अनु0:–संबंधित नोडल पदाधिकारी)**

13. नेहरू पार्क पूनाईचक, पटना में नवनिर्मित UG Tank के हस्तांतरण के संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकरी के द्वारा बताया गया कि नियमानुसार हस्तांतरण का प्रावधान नही है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि आगे से अगर भवन निर्माण विभाग के द्वारा स्थल पर UG Tank का निर्माण किया जाता है तो उस स्थिति में अग्निशमन विभाग से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त हीं UG Tank का निर्माण किया जाए। **(अनु0:–सभी कार्यपालक अभियंता)**

14. सभी नोडल पदाधिकारी को अपने विभाग के अन्तर्गत भवनों में निम्नांकित कार्य कराने का निदेश दिया गया :–
    i. पर्याप्त संख्या में Fire Extinguisher कार्यशील अवस्था में अधिष्ठापित करें।
    ii. आपातकालीन निकास द्वार को बाधामुक्त रखें।
    iii. प्रत्येक तल पर अग्नि सुरक्षा से बचाव हेतु QRT दल गठित करें।

(अनुपालन :–सभी नोडल पदाधिकारी)

15. सभी नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भवन में अधिष्ठापित Fire Extinguisher की Expiry Date की जाँच करा लें एवं Expiry की स्थिति में उसे अविलम्ब Refilling/Change भी करा लें। **(अनुपालन :–सभी नोडल पदाधिकारी)**

16. जिन भवनों का NOC प्रमाण पत्र मिल गया है, उसकी जाँच करने एवं उसकी समयावधि समाप्त होने पर पुनः आवेदन करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।
(अनुपालन :–संबंधित कार्यपालक अभियंता)

17. अगामी समीक्षा बैठक में सिर्फ नामित नोडल पदाधिकारी को ही भाग लेने का निदेश दिया गया क्योकि बार–बार अलग–अलग पदाधिकारी के भाग लेने से पूर्व की समीक्षा बैठक में दिये गये निदेशों का जानकारी नहीं रहने के कारण समीक्षा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ हीं सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव से अनुरोध है कि मुख्य सचिव बिहार के निदेशानुसार संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी को हीं नोडल पदाधिकारी नामित करने की कृपा की जाए। **(अनुपालनः–सभी विभाग)**

18. विद्युत भवन के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत भवन परिसर के विद्युत भवन सं0–03 में Water Sprinkler के साथ सभी अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित करा लिया गया है, एवं विद्युत भवन संख्या–01 एवं 02 में Water Sprinkler लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को यथाशीघ्र उक्त भवनों में Water Sprinkler लगाने का निदेश दिया गया। **(अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता)**

19. अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभागों में नामित QRT सदस्यों एवं Housekeeping Staff तथा सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सजग एवं जागरूक करने के संबंध में सभी नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। **(अनुपालन :–सभी नोडल पदाधिकारी)**

20. भवनों की मूल संरचना/डिजाईन में भवन निर्माण विभाग की अनुमति के बीना कोई कार्य नहीं कराया जाए। सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। **(अनुपालनः–सभी नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता)**

21. भारी विद्युत उपकरण यथा AC का अधिष्ठापन के पूर्व भवन निर्माण विभाग से अनुमति प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही नोडल पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि अपने विभाग में अधिष्ठापित सभी वातानुकुलित यंत्रों की समय–समय पर देख–भाल/रख–रखाव (सर्विसींग) की जाय। **(अनुपालनः–सभी नोडल पदाधिकारी)**

22. जिला अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुझाव दिया गया कि CO_2 पोर्टेबल Fire Extinguisher को बाहर धूप में नहीं रखें क्योकि उसमें ठोस CO_2 रहता है जिसके कारण उसमें ब्लास्ट हो सकता है। साथ हीं इसकी भी जाँच करा ली जाए कि सभी Fire Extinguisher क्रियाशील स्थिति में है। यदि कोई भी Fire Extinguisher Expire कर गया है तो उसे रिफलिंग अथवा बदलने की कार्रवाई की जाय। **(अनुपालनः–सभी नोडल पदाधिकारी)**

23. संरचना प्रमंडल संख्या–03, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभिन्न भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित वृहत कार्य कराया जा रहा है जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत हैः–

क्र0	योजना का नाम	कार्य समाप्ति की तिथि	प्रतिशत
1.	सिंचाई भवन पटना परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन कार्य	02.01.2025	100
2.	विश्वेश्वरैया भवन, टेक्नोलॉजी भवन एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण भवन परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	100
3.	विकास भवन, पटना परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	98
4.	मुख्य सचिवालय(पुराना सचिवालय) पटना, परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन का कार्य	02.01.2025	90

कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–03 को विकास भवन तथा मुख्य सचिवालय में अग्नि सुरक्षा से संबंधित वृहत् कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
अपर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–भवन/भू–सम्पदा–प्र0–09–08(विविध)–18/2023 7255(भ) पटना, दिनांक– 03/8/26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निमार्ण विभाग/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन पदाधिकारी(अग्नि सुरक्षा), सभी विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/मुख्य अभियंता (विद्युत)/ अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/विद्युत अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–01 एवं 3/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमण्डल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं0–01, 02, 03 एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

03/08/2026

अपर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।